धारा 134 : अपराधों का संज्ञान

न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान आयुक्त की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से कम का न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण नहीं करेगा।